<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायलय दीवानी अपीलीय अधिकारिता

दीवानी अपील संख्या 3282-3283/2019 (विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) सं. 20295-20296/2017 से उत्पन्न)

राजिंदर तिवारी

अपीलार्थी(गण)

बनाम

केदार नाथ (मृतक) विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य के द्वारा

प्रत्यर्थी(गण)

<u>निर्णय</u>

न्या., अभय मनोहर सप्रे,

- 1. अनुमति प्रदान
- 2. यह अपीलें RSA No. 188/2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2016 को पारित हुए अंतिम निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध निर्देशित होती हैं जिसमें उच्च न्यायालय ने इसमें प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर RSA को अनुमित प्रदान की थी तथा CM (Application) No. 46865/2016 में दिनांक 26.04.2017 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने इसमें अपीलार्थी द्वारा दायर की दूसरी अपील की पुनः स्नवाई के आवेदन को ख़ारिज किया।

- 3. इन अपीलों के निपटान हेतु कुछ तथ्यों को यहाँ नीचे उल्लेख करने की आवश्यकता है, जिसमें एक छोटा तथ्य है|
- 4. अपीलार्थी वादी है तथा मूल प्रत्यर्थी (अब अपने विधिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत) सिविल वाद में प्रतिवादी है जिनसे ये अपीलें उत्पन्न होती हैं।
- 5. अपीलार्थी (वादी) ने मूल प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) के विरुद्ध विरष्ठ सिविल न्यायाधीश-सह-रैंट-कंट्रोलर (Rent Controller) (उत्तर-पूर्व ज़िला), कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली की न्यायालय में वाद संपित के सम्बन्ध में स्थायी व्यादेश हेत् सिविल वाद सं. 147/2007 दायर किया था।
- 6. यह विवाद में नही है कि, प्रतिवादी का लिखित बयान दायर करने का अधिकार वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा इस परिणाम हेतु बंद कर दिया गया था कि प्रतिवादी अपने लिखित बयान को दायर नहीं कर सका तथा न ही किसी दस्तावेज़ी साक्ष्य को दायर कर सका
- 7. वादी ने फिर अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया। प्रतिवादी, हालाँकि,लिखित बयान की प्राप्ति हेतु, वादी के गवाहों की अपने बचाव के बिना प्रतिपरीक्षा कर सकता है।

- 8. दिनांक 01.02.2010 के निर्णय/डिक्री द्वारा, विरष्ठ सिविल न्यायाधीश ने वादी के वाद को डिक्री के माध्यम से उसके द्वारा प्रार्थना की गई स्थायी व्यादेश हेतु डिक्री पारित की। प्रतिवादी को व्यथित महसूस हुआ तथा उसने अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीश के समक्ष प्रथम अपील दायर की।
- 9. दिनांक 26.07.2010 के निर्णय द्वारा प्रथम अपीलार्थी न्यायालय ने अपील ख़ारिज कर दी तथा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय तथा डिक्री को समर्थित कर दिया|
- 10. प्रतिवादी को व्यथित महस्स हुआ तथा उसने दिल्ली उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील दायर कर दी। दिनांक 03.11.2016 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील की मंजूरी करी, प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया तथा वादी (यहाँ अपीलार्थी) के वाद को ख़ारिज कर दिया। तत्पश्चात वादी ने द्वितीय अपील की पुनः सुनवाई हेतु आवेदन डाला परन्तु उसे दिनांक 26.04.2017 के आदेश द्वारा ख़ारिज कर दिया गया। दोनों आदेशों के विरुद्ध, अपीलार्थी (वादी) ने वर्तमान अपीलों को विशेष अनुमित के रूप में इस न्यायालय में दायर किया।

- 11. इसिलए, इन अपीलों पर विचार करने हेतु जो लघु प्रश्न उठता है कि क्या प्रतिवादी की द्वितीय अपील को मंजूरी देने में उच्च न्यायालय न्यायोचित था, और, अतः वादी के वाद (यहाँ अपीलार्थी) को ख़ारिज करने में न्यायोचित था।
- 12. पक्षकारों के फ़ाज़िल अधिवक्ता को सुनने तथा मामले के अभिलेख के अवलोकन पर, हम इन अपीलों को अनुमित देने के इच्छुक हैं, तथा आक्षेपित आदेशों को एक तरफ रखते हुए मुकद्दमे को विचारण न्यायालय (विरष्ठ सिविल न्यायाधीश) को सिविल वाद को नए सिरे से गुणागुण आधार पर सुनने हेतु कानून के अनुसार वापिस भेजते है।
- 13. हमारे सुविचारित मतानुसार, गुणागुण आधार पर सिविल वाद को नए सिरे से सुनने के लिए वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश को मुकद्दमा वापिस भेजने की आवश्यकता एक से अधिक कारणों से हैं।
- 14. पहला, हमने यह पाया कि, वाद में विचारण संतोषजनक ढंग से नहीं हुआ चूँकि प्रतिवादी को लिखित बयान दायर करने का पर्याप्त अवसर नहीं प्राप्त हुआ था

- 15. दूसरा, किसी भी लिखित बयान के न होने पर, प्रतिवादी न तो उचित साक्ष्य को प्रस्तुत कर सकता है और न ही मुकद्दमे के समर्थन में कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य दायर कर सकता है|
- 16. तीसरा, अतः पक्षकारों के अधिकारों को दो न्यायालयों (विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा वाद में डिक्री पारित करके तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपर्याप्त साक्ष्य होने के आधार पर वाद को ख़ारिज करके निश्चित किया गया। हमारे मतानुसार, इससे दोनों पक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- 17. चौथा, हमें प्रतिवादी को उसके लिखित बयान को दायर से मना करने का कोई न्यायसंगत कारण नहीं मिलता। उसे लिखित बयान दायर करने का तथा गुणागुण आधार पर वाद को लड़ने हेतु मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्य को प्रस्तुत करने का अधिकार था।
- 18. यह निश्चित कानून है कि वाद के सभी विवादी पक्षकारों को कानून के अनुसार गुणागुण आधार पर वाद लड़ने का उचित अवसर अवश्य मिलना चाहिए। वाद की असंतोषजनक सुनवाई में, न्यायालयों द्वारा दिया गया निर्णय क़ानूनी रूप से संवहनीय नहीं है। यह तथ्य पर ध्यान दिए बिना है कि सुनवाई में निर्णय किसके पक्ष में जा सकता है।

- 19. इन्हीं कारणों से हमारा यह मत है कि ये अपीलें मंज़्री के योग्य हैं
 तथा मामले को नए सिरे से गुणागुण आधार पर सुनने हेतु कानून के
 अनुसार विचारण न्यायालय को वापिस भेजा जाता है|
- 20. यहाँ प्रत्यर्थियों (मूल प्रतिवादी के क़ानूनी प्रतिनिधि) को तदानुसार वाद में उपस्थित होने की तिथि से एक महीने के अन्दर लिखित बयान दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसके पश्चात् विचारण न्यायालय पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर वाद में उत्पन्न हो रहे विवाद्यकों की विचरना करेगा और फिर पक्षकारों को पहले से प्रस्तुत साक्ष्य के अतिरिक्त अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमित देगा। पक्षकारों को अतिरिक्त दस्तावेज़ों को दायर करने की भी अनुमित प्रदान की जाएगी, यदि वे चाहें तो।
- 21. विचारण न्यायालय वाद का फैसला अभिवचनों के आधार पर तथा पूर्व अवस्था में इस मामले में न्यायालयों द्वारा पारित किसी भी निर्णय से अप्रभावित होकर पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गए साक्ष्य के आधार पर करेगा।

- 22. हम, फिर भी, यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुणागुण पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है जबिक मुकद्दमे को विचारण न्यायालय को वापिस भेजने के लिए राय बनाई गई है|
- 23. सुनवाई को एक वर्ष के अन्दर पूरा किया जाए। पक्षकारों को विरष्ट सिविल न्यायाधीश (उत्तर पूर्व ज़िला), कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली के समक्ष 02.04.2019 को हाज़िर होना है।
- 24. इस प्रकार अपीलें सफल होती हैं और तदानुसार मंज़्र की जाती हैं। आक्षेपित आदेशों को अपास्त किया जाता है तथा वाद को मूल फाइल में वापिस गुणागुण आधार पर सुनवाई हेतु पुन: स्थापित किया जाता है जैसा कि ऊपर बताया गया है।

न्या		
(अभय	मनोहर	सप्रे)

न्या.(दिनेश महेश्वरी)

नई दिल्ली, मार्च 28, 2019

अस्वीकरणः देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है तािक वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।